International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 5; May 2017; Page No. 383-384

भारतीय संविधान में : डॉ. अम्बेड़कर की भूमिका

Pooja
Assistant Professor, Department of Political Science, South Point Degree College, Sonipat, Haryana, India

सारांश
ड़ॉ. भीमराव अम्बेड़कर दलितों के मसीहा व एक महामानव के रूप मे जाने जाते है। वह भारत के प्रसिद्ध न्याय–शास्त्री, विधि विशेषज्ञ संविधान निर्माता थें। वे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के मुख्य सेनानियों में शामिल है। वे एक ऐसे समाज सुधारक व संविधान निर्माता थे, जिन्होंने अपने आपकों भाषणों में सीमित नहीं रखा, बल्कि स्वयं अपने जीवन और कार्यो से सामाजिक रूढ़िवादिता, छुआछूत तथा जाति प्रथा के उन्मूलन में सदैव लगे रहे। उन्हें भारतीय संविधान का पितामह व पोषक माना जाता है। अम्बेड़कर भारतीय संविधान की धरोहर है और स्वतन्त्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कहलाए गए।

मूल शब्दः राजनीतिक विचार व चिन्तन

प्रस्तावना

डॉ0 अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में हुआ। अम्बेडकर जी मन व उनकी काम करने की लगन उन्हें हमेशा एक नई पहचान दिलाती थी।

अम्बेडकर के शब्दों में, ''.....मै यह पूछता हूँ कि क्या विश्व के इतिहास में इस समय बनाए जानें वाले संविधान में कोई नई बात हो सकती है? .....इस समय बनने वाले संविधान में यदि कोई नई वस्तु हो सकती है तो वह केवल कुछ भिन्नताएँ है जिनके द्वारा दोषों को दूर करके संविधान को देश की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है।''

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज में स्वतन्त्रता व समानता स्थापित करने के उद्धेश्य से स्वतन्त्र भारत का संविधान निर्मित किया। सन् 1946 में जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी। वह एक प्रभुसता सम्पन्न संस्था नही थी, परंतु 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के पास होने के बाद यह पूरी तरह से प्रभुसता संपन्न बन गई।

शोध प्रविधिः– इस शोध–पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्त्रोतों से ग्रहण की गई है। इसमे ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त किया है।

मसौदा समिति की नियुक्तिः– विभिन्न समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक सात सदस्यीय मसौदा समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष ड़ा0 अम्बेडकर थे तथा दो अन्य सदस्य थे–

1. गोपाल स्वामी आयंगर
2. अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर
3. के0 एम0 मुंशी
4. बी0 एस0 मित्तल
5. सैयद मुम्महद सादुला
6. टी0 टी0 कृष्णामचारी थे।

इस समिति द्वारा तैयार किये मसौदे पर 15 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में विचार आरम्भ हुआ।

अम्बेडकर जी को स्वतन्त्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। परन्तु सन् 1951 में उन्होंने कुछ मतभेदों के चलते कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन् 1951 में उन्होंने 'भारतीय बुद्ध जनसंघ' की स्थापना की।

The cast in India, Fedreation v/s Freedom

दो महत्वपूर्ण कृत्तिका का निर्माण किया।

अम्बेडकर ने समय–समय पर सरकार के कार्यो से संबंधित भी अपने विचार प्रकट किये। अम्बेडकर संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक होते हुए मांटेस्क्यू के 'शक्तियों

के पृथ्ककरण सिद्धांत' को उचित मानते थे। इसलिए उन्होने अमेरिकन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को उचित बताया था। डा0 अम्बेडकर ने व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए है। उनका कहना था कि अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। लोगों के महत्वपूर्ण व अनिवार्य अधिकारों का वर्णन संविधान में होना चाहिए।

डॉ0 अम्बेडकर अधिकारों के लिए न केवल कानूनी सुरक्षा चाहते थे, बल्कि उनका मानना था कि अधिकारों को नैतिक व सामाजिक मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि यदि जन समुदाय या समाज ही संविधान में शामिल अधिकारों को स्वीकार नहीं करते तो राज्य या न्यायालय भी उनकी रक्षा नहीं कर पायेंगें।

डॉ0 अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल का समर्थक माना जाता है। देश का कानून मंत्री होते हुए उन्होंने सन् 1948 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था। हिंदू कोड बिल के अनुसार विवाह के लिए जाति निर्धारित पैमाना नही है। इसके अंतर्गत स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकार में व उतराधिकार संबंधों अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी। परंतु इस बिल का संसद एवं देश में बहुत अधिक विरोध किया और यह बिल पास नही हो पाया। इसके चलते डा0 अम्बेडकर ने कानून मंत्री से त्याग पत्र दे दिया। रूपों में विभाजित करके हमारे भारत देश में इसकों लागू कर दिया।

जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। तब उन्होनें यह कहा था कि क्या संघात्मक व्यवस्था अपनाते हुए राज्यों की स्वायत्तता प्रदान की जाये या केन्द्र को राज्य से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। सारांश में पक्ष में थे जिसके माध्यम से राज्य की एकता व सुरक्षा को बनाए रखा जा सकें।

अम्बेडकर के अनुसार, ''भारतीय संविधान संघात्मक है, यह एक दोहरे शासन की व्यवस्था करता है, जिसके अंतर्गत केंद्र में संघ सरकार है और उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकार है।''

डॉ0 अम्बेडकर ने समय–समय पर राज्य व धर्म के आपसी संबंधों के विषय में भी विचार व्यक्त किये है। डा0 अम्बेडकर ने भारत के विभाजन एवं पाकिस्तान के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने सन् 1941 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'Thoughts on

Pakistan' में भारत के विभाजन व पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया था। उनका कहना था कि पाक की मॉग से अभिप्राय है, एक राष्ट्र बनने के सभी तत्व विद्यमान है, तो वह अलग राष्ट्र बन सकता है।

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार,–''प्रजातंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है, जिसमें खून बहाए बिना ही क्रान्तिकारी, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन होता है।''

इसी प्रकार उन्होंने इब्राहिम लिंकन की परिभाषा– ''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है''।

डॉ0 अम्बेडकर ने आरक्षण संबंधी भी महत्वपूर्ण विचार दिये है। जिस तरह मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान बनाया जा सकता है, तो उसी प्रकार शूद्रो को भी समाज के एक अलग वर्ग के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्वाचन मंडल बनाना पड़ेगा, ताकि विधानसभा में उन्हें भी उचित स्थान मिल सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि डॉ0 अम्बेडकर हमारे संविधान के जन्मदाता है। उन्होंने सिर्फ हमारे संविधान बनाने में केवल योगदान नहीं दिया उन्होंने महिलाओं और नीची जातियों के लोंगो के लिए भी बहुत से ऐसे कार्य किए है जिससे आज भी उनका नाम हमारे देश में गौरव और सम्मान के साथ लिया जाता है। भावी पीढी उनसे ऐसी प्रेरणा ले जिससे उनका भी हमारे समाज, देश और संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य बनें और वो भी कल को देश का स्तम्भ बनकर दिखाए जिस तरह अम्बेडकर जी ने कर दिखाया था।

संदर्भ सूची

1. भारतीय संविधान, सोमनाथ वर्मा, डॉ0 सुरेश कुमार संपादक ज्योतिए. 6 2014, 2015.
2. अम्बेडकर चिंतन, संपादक डॉ0 दलबीर सिंह. 2006, 79.
3. भारतीय राजनीतिक चिंतक, वी0 के0 पुरी, संपादक मल्होत्रा. 2012, 269.
4. दैनिक जागरण समाचार पत्र. 2017, 7.
5. बी. एन. मेघवाल, भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, 55.
6. डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर जीवनी, 205, 2004,
7. आहुजा, एम0 एल 2007, बाबा साहेब अम्बेड़कर, प्रशासक व राजनीतिक विचारक –1922–1923
8. कुरियन, 'स्कूल में मानव अधिकार शिक्षा' 1990.